

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या: डी.ई.-25 (13)/30/वि.कार्य/2018-19/1517-18

दिनांक - 21/08/19

सेवा में,

उप. सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।


विषय:- विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या .07... दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या .07... जो कि दिनांक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,




(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्या: डी.ई.-25 (13)/30/वि.कार्य/2018-19/ 1517-18

दिनांक - 21/08/19

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 (150 प्रतियाँ)



(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)


तारांकित प्रश्न संख्या :- 07

दिनांक :- 22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री एस. के. बग्गा

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर																									
क)	दिल्ली सरकार के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे कब तक लग जाएंगे और जिन स्कूलों में ये लगाए जाएंगे उनकी कुल संख्या;	दिल्ली सरकार के समस्त स्कूलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य प्रगति पर है और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए अनुबंध में निर्धारित समयावधि के अनुसार कार्य पूर्ण किया जाएगा।																									
ख)	दिल्ली सरकार के स्कूलों में नियमित अध्यापकों के रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या;	दिल्ली सरकार के स्कूलों में नियमित अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>पद का नाम</th> <th>रिक्त पद</th> <th>अतिथि शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुबंधित शिक्षक</th> <th>कुल रिक्त पद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>प्रवक्ता</td> <td>5057</td> <td>3695</td> <td>1362</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>टी.जी.टी.</td> <td>15680</td> <td>12721</td> <td>2959</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>विविध श्रेणी शिक्षक</td> <td>7378</td> <td>4512</td> <td>2866</td> </tr> <tr> <td colspan="2">कुल</td> <td>28115</td> <td>20928</td> <td>7187</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> नियमित अध्यापकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक व सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुबंधित शिक्षक कार्यरत है। 	क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्त पद	अतिथि शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुबंधित शिक्षक	कुल रिक्त पद	1	प्रवक्ता	5057	3695	1362	2	टी.जी.टी.	15680	12721	2959	3	विविध श्रेणी शिक्षक	7378	4512	2866	कुल		28115	20928	7187
क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्त पद	अतिथि शिक्षक और सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुबंधित शिक्षक	कुल रिक्त पद																							
1	प्रवक्ता	5057	3695	1362																							
2	टी.जी.टी.	15680	12721	2959																							
3	विविध श्रेणी शिक्षक	7378	4512	2866																							
कुल		28115	20928	7187																							
ग)	वर्ष 2019में हुई बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली सरकार के स्कूलों के जिन विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, उनकी संख्या;	वर्ष 2019 में हुई बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10वीं कक्षा में 1481 विद्यार्थियों ने एवं 12वीं कक्षा में 1089 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।																									
घ)	दिल्ली सरकार के स्कूलों में नए कमरे बनाए जाने का लक्ष्य व बनाए गए कमरों की संख्या; और	दिल्ली सरकार के स्कूलों में दूसरे चरण में 12748 समकक्ष कमरों के निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी गई है व प्रथम चरण के दौरान बनाए गए समकक्ष कमरों की संख्या 7963 है।																									
ड0)	दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के क्या अधिकार हैं और दिल्ली सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है?	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 (2) के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित दायित्वों का पालन करती है:- (क) विद्यालय के समस्त कार्य की निगरानी करना, (ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना, (ग) सरकार या स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना, और (घ) ऐसे अन्य दायित्वों का पालन करना, जो चिन्हित किए गए हों। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.10.2018 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल के विकास एवं रखरखाव इत्यादि से संबंधित कार्यों के लिए निम्न राशि का प्रावधान किया गया है:- 1. 1500 विद्यार्थियों के नामांकन तक - रूपए 5,00,000/- प्रति वर्ष 2. 1501 से 2500 विद्यार्थियों के नामांकन तक - रूपए 6,00,000/- प्रति वर्ष 3. 2501 एवं उससे अधिक विद्यार्थियों के नामांकन तक - रूपए 7,00,000/- प्रति वर्ष																									


D.D. Jha
Dir. of Education
G.N.C.T. of Delhi